संख्या-21 /2016/1273/एक-4-16-03बी-4/2016

प्रेषक,

बीरबल सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त् एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0,लखनऊ।
2- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 07 अक्टूबर,2016**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में मण्डलायुक्त कार्यालय हेतु निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-9048/12'27 ई/2011, दिनांक 22-08-2016 के माध्यम से प्राप्त निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन के क्रय किये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआा है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अपरआयुक्त, गोरखपुर के निष्प्रयोज्य वाहन संख्या-यू0पी0-53जी-0777 (जिप्सी) के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन के रूप में महिन्द्रा कम्पनी की 01 बोलेरो वाहन क्रय किये जाने हेतु रू0-6,68,001/- की स्वीकृति/व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों का क्रय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(2) उक्त वाहनों का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053-आयोजनेत्तर-101-आयुक्त-03-मुख्य कार्यालय-14-मोटर गाडियों का क्रय मद के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि से संबंधित बजट मण्डल को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-ई-5-995/दस-2016, दिनांक 05 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

संख्या-21/2016/1273(1)एक-4-16-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार (प्रथम),उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-5
4- वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-2।
5- राजस्व अनुभाग-6
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in